दिनांक 11.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 15/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एएनटीएफ : दिनांक 10.09.2025 को एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट मेरठ द्वारा बरेली से अवैध चरस व अफीम लाकर तस्करी कर रहे गिरोह के 02 अन्तर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 03 किलोग्राम अवैध चरस व 01 किलोग्राम अवैध अफीम (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 40 लाख रुपये), 02 अदद मोबाइल, 01 अदद मोटर साइकिल व 2,100/- रूपये नकद बरामद किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0 के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक एण्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक श्री भगवान दास एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट मेरठ के पर्यवेक्षण में ए.एन.टी.एफ. ऑपरेशनल यूनिट मेरठ द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 अन्तर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर (1) संजेश पुत्र दीनदयाल कश्यप निवासी गांव बल्लिया थाना भमौरा जनपद बरेली (2) सादिक पुत्र दिलशाद निवासी गांव पंजीठ थाना कैराना जनपद शामली को तस्करी में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार कर, कब्जे से 03 किलोग्राम अवैध चरस व 01 किलोग्राम अवैध अफीम (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 40 लाख रुपये), 02 अदद मोबाइल व 2,100/- रूपये नकद बरामद कर विधिक कार्यवाही की गयी। इस सम्बन्ध में थाना कैराना जनपद शामली में मु0अ0सं0-554/2025 धारा 8/18/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट, 1985 का पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर बताया कि उसकी बिलाल से बात होने पर ही मैं चरस व अफीम लेकर अपने घर से अपनी मोटर साइकिल से कल निकला था तथा रात्रि के समय हरिद्वार में रुका था। आज ही सुबह हरिद्वार से चलकर सादिक के घर आया था और मेरी बात पहले ही बिलाल व सादिक से हो गई थी, तभी मैं सादिक के घर पर आया और सादिक के घर पँहुचने के बाद मैने अपने मोबाइल से सादिक की बात बिलाल से करायी थी। सादिक ने बिलाल से बात करने के पश्चात कहा कि कुछ समय रुक जाओ हो सकता है कि बिलाल भी आने को कह रहा है तुम अपना हिसाब करके जाना। तभी आप लोगो ने हमें पकड लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1– संजेश पुत्र दीनदयाल कश्यप निवासी गांव बल्लिया थाना भमौरा जनपद बरेली ।

2– सादिक पुत्र दिलशाद निवासी गांव पंजीठ थाना कैराना जनपद शामली ।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय/स्थान

दिनांकः 10.09.2025 समय–18:48 बजे, स्थान–मकान अभियुक्त सादिक गांव पंजीठ, थाना कैराना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण–

1. 03 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस व 01 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 40 लाख रुपये)
2. 02 अदद मोबाइल फोन
3. 01 अदद पैन कार्ड
4. 02 अदद आधार कार्ड
5. 01 अदद मोटर साइकिल
6. 2,100/– रूपये नकद

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण–

1– उ0नि0 श्री लोकेन्द्र कुमार ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट मेरठ।

2– मु0आ0 नवीन कुमार भारद्वाज ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट मेरठ।

3– मु0आ0 संजीव कुमार ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट मेरठ।

4– मु0आ0 विनित कुमार ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट मेरठ।

5– मु0आ0 धीरी सिंह ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट मेरठ।

6– मु0आ0 मनीष कुमार ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट मेरठ।

सहयोगार्थ थाना कैराना जनपद शामली पुलिस टीम

1– उ0नि0 श्री जोनसन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2– का0 1132 हरेन्द्र कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3– का0 1133 मोनू मालान थाना कैराना जनपद शामली।

4– का0 चालक 165 विपिन वर्मा थाना कैराना जनपद शामली।

सहयोगार्थ सर्विलांस टीम मुख्यालय लखनऊ

1– एस. आई. एम राजेश मिश्र (सर्विलांस प्रभारी) एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ।

2– टीम सर्विलांस एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ।

जनपद बागपत/थाना कोतवाली बागपत

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 10.09.2025 को थाना कोतवाली बागपत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अहेडा रजवाहे की तरफ जाने वाले रास्ते पर बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मन्नू उर्फ अनुज घायल हो गये, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मन्नू उर्फ अनुज निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली जनपद बागपत।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद शामली/थाना कोतवाली शामली

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 10.09.2025 की रात्रि थाना कोतवाली शामली व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कंडेला बाईपास पुल के पास पुलिस कार्यवाही

में पुरस्कार घोषित अभियुक्त समीर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शामली के थाना कोतवाली शामली पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–समीर निवासी मोहल्ला गुलशन नगर थाना कोतवाली जनपद शामली।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद महराजगंज/थाना पारसामलिक

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 11.09.2025 को थाना परसामलिक पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेहरा एसएसबी रोड, रेहरा मोड़ से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आकाश उर्फ रोशन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना परसामलिक पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना परसामलिक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश उर्फ रोशन निवासी महदेईयां थाना परसामलिक जनपद महराजगंज।

जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 10/11.09.2025 की रात्रि थाना गुलावठी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिकन्द्राबाद अण्डरपास के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सलीमुद्दीन उर्फ शाहबुद्दीन उर्फ साहब उर्फ मो0 साहिल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, मेरठ, बागपत, सहारनपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गुलावठी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गुलावठी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– सलीमुद्दीन उर्फ शाहबुद्दीन उर्फ साहब उर्फ मो0 साहिल निवासी लाला मोहम्मदपुर थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद मीरजापुर/थाना लालगंज

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 40 एलईडी टीवी**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 पिकअप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 11.09.2025 को थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेरूईराम मोड़ के पास से 05 अभियुक्तों 1–अंकित 2–रोहित कुमार 3–सोमदत्त उर्फ छोटू 4–लोरिक उर्फ रामसकल 5–रमाशंकर को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 40 एलईडी टीवी, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 पिकअप वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.09.2025 को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद एलईडी टीवी आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंकित निवासी नदौली करौदी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

2–रोहित कुमार निवासी नदौली करौदी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

3–सोमदत्त उर्फ छोटू निवासी नदौली करौदी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

4–लोरिक उर्फ रामसकल निवासी निवावल थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

5–रमाशंकर निवासी भटवारी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

1–चोरी की 40 एलईडी टीवी।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 पिकअप वाहन आदि।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना अरनिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना अरनिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/452 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुनित कुमार को आजीवन कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना सैनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना सैनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 सपठित धारा 5 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामकृपाल उर्फ कृपाल को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना तम्बौर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 07–07 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना तम्बौर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–तीरथराम 2–मुकेश 3–देवीशंकर 4–अभियुक्ता को 14 वर्ष के कठोर कारावास व 07–07 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना नानपारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना नानपारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(1) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दंगल को 10 वर्ष के कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद रामपुर/थाना मिलक (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 01 लाख 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना मिलक पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त हरीश को 07 वर्ष के कारावास व 01 लाख 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————